माननीय न्यायमूर्ति एबी चौधरी और कुलदीप सिंह**,** जे.जे.

सीमा देवी- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—प्रतिवादी

2017 की सीडब्ल्यूपी संख्या **13621**

अक्टूबर 09, 2018

भारत का संविधान**,** ***1950-***अनुच्छेद ***19(1)(***जी***)-***अधिवक्ता अधिनियम**,* ***1961-***धारा ***29*** और ***30-***भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम**,* ***1975-***नियम ***49-***सहायक जिला न्यायवादी के लिए उपस्थित होने के लिए अधिवक्ता के रूप में नामांकन एक आवश्यक शर्त है**-**बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम**,* ***1975-***बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमावली का नियम ***49*** सरकारी कर्मचारी को अधिवक्ता के रूप में कार्य करने से रोकता है**-**सहायक जिला न्यायवादी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होता है।

अभिनिर्धारित याचिकाकर्ता सरकारी सेवा में है और वह चाहती है कि चूंकि राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विज्ञापन में शर्त, जिसमें बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन की आवश्यकता होती है, को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हम उक्त विवाद से प्रभावित नहीं हैं। सहायक जिला अटॉर्नी मूल रूप से एक वकील है, जो सरकार की ओर से या सरकार की ओर से मामले पर मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए सरकार की ओर से उपस्थित होता है। इस प्रकार सहायक जिला अटॉर्नी को सरकार की ओर से मूल रूप से एक वकील के रूप में अदालत में अभ्यास करना पड़ता है।

(पैरा 5)

आगे अभिनिर्धारित किया कि , ऐसा होने पर, उत्तरदाता कानूनी रूप से यह शर्त लगा सकते हैं कि केवल वे लोग, जिनके पास वकील के रूप में अभ्यास करने का लाइसेंस है, आवेदन करने के पात्र हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का कोई उल्लंघन नहीं है .....उक्त शर्त में कोई अवैधता नहीं है, जिसके लिए आवश्यक है कि केवल वे व्यक्ति, जो बार काउंसिल के साथ नामांकित हैं, राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके विपरीत, यह कानून की आवश्यकता को पूरा करता है।

(पैरा 8)

आगे अभिनिर्धारित किया , कि हमारा विचार है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अदालत में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वह एक न्यायाधीश के रूप में न्यायालय की अध्यक्षता करता है। इसलिए, की गई तुलना गलत और गलत है। केवल तथ्य यह है कि सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, यह धारण करने का कोई आधार नहीं है कि राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील के रूप में नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा

होने पर, रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी गई है।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता के लिए फेरी सोफत, अधिवक्ता।

विवेक सैनी, डी.ए.जी., हरियाणा।

कंवल गोयल, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

अमित खाखर, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए।

जस्टिस कुलदीप सिंह

(1) याचिकाकर्ता 2008 से हरियाणा पुलिस अकादमी में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। उस समय, वह अपने कानून के पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष में थी। विभाग से अनुमति मिलने के बाद, उन्होंने वर्ष 2009 में एलएलबी कोर्स पूरा किया। प्रतिवादी नंबर 2 ने 9.5.2017 को सहायक जिला अटॉर्नी (ग्रुप 'बी') के 180 पदों का विज्ञापन दिया था, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई थीं: –

'अभियोजन में सहायक जिला अटार्नी, हरियाणा के पद के लिए आवश्यक योग्यता'

(1)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ (प्रोफेशनल) की डिग्री.बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित होना चाहिए।

(2)मैट्रिक कक्षा या उच्चतर तक हिंदी/संस्कृत।

(2) उक्त विज्ञापन में, अधिवक्ता के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आगे यह कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का नियम 49 सरकारी कर्मचारी को तब तक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से रोकता है जब तक कि वह ऐसी सरकारी सेवा में बना रहता है। उक्त नियम के कारण, याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल के साथ खुद को नामांकित नहीं किया। वकील, जो संपर्क के आधार पर सरकारी सेवा या निजी सेवा या सेवा में शामिल होते हैं, को अपना सनद / लाइसेंस आत्मसमर्पण करना होगा। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि चूंकि किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अधिसूचना संख्या 1011 जीएसआर 23/कॉन्स्ट/अनुच्छेद 309/2001, जैसा कि हरियाणा राज्य अभियोजन कानूनी (समूह 'बी') सेवा नियम, 2001 (अनुलग्नक-पी -1) पर लागू है, जहां तक यह राज्य बार काउंसिल के साथ उम्मीदवार के नामांकन की शर्त निर्धारित करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन होने के कारण रद्द करने योग्य है। याचिकाकर्ता ने 9.5.2017 (अनुलग्नक-पी -2) के विज्ञापन को रद्द करने के लिए भी निर्देश मांगा है, जो

याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है क्योंकि वह एक वकील के रूप में नामांकित नहीं है और बार काउंसिल एक सरकारी कर्मचारी है, हालांकि एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / कॉलेज से कानून स्नातक है।

(3) जवाब में प्रतिवादी नंबर 2 ने कहा कि उन्होंने केवल मांग के अनुसार पदों का विज्ञापन दिया है। यह उल्लेख किया गया है कि संगत नियम विज्ञापन में दी गई अपेक्षा के अनुरूप हैं। इसलिए विज्ञापन में कोई गलती नहीं है। यह बताया गया कि नियुक्ति के बाद, उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य के भीतर विभिन्न न्यायालयों के समक्ष सरकार की ओर से पेश होने के लिए सरकारी वकील / लोक अभियोजक के रूप में अधिसूचित किया जाता है। हाल ही में, दीपक अग्रवाल बनाम केएसव कौशिक में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सहायक जिला अटॉर्नी/लोक अभियोजक अधिवक्ता हैं। इसलिए, बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन, राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक है।

(4) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और फाइल को ध्यान से देखा है।

(5) बेशक, याचिकाकर्ता सरकारी सेवा में है और वह चाहती है कि चूंकि राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विज्ञापन में शर्त, जिसमें बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन की आवश्यकता होती है, को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हम उक्त विवाद से प्रभावित नहीं हैं। सहायक जिला अटॉर्नी मूल रूप से एक वकील है, जो सरकार की ओर से या सरकार की ओर से मामले पर मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए सरकार की ओर से उपस्थित होता है। इस प्रकार सहायक जिला अटॉर्नी को सरकार की ओर से मूल रूप से एक वकील के रूप में अदालत में अभ्यास करना पड़ता है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 केवल अधिवक्ताओं को न्यायालयों में अभ्यास करने की अनुमति देता है।

(6) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

> '**29.** इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से विधि के व्यवसाय का अभ्यास करने का हकदार व्यक्तियों का केवल एक वर्ग होगा, अर्थात् अधिवक्ता।

(7) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 में आगे निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -

> '**30.** वकालत करने वालों का अधिकार।इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य नामावली में प्रविष्ट किया गया है, उन सभी क्षेत्रों में, जिन तक यह अधिनियम

विस्तारित है, वकालत करने के अधिकार के रूप में हकदार होगा-

(1)उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में;

(2)किसी भी न्यायाधिकरण या कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति के सामने; और

(3) किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है, जो पै्रक्टिस करने का हकदार है।

(8) उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि केवल एक वकील, जो बार काउंसिल के साथ नामांकित है, न्यायालय में वकालत करने का हकदार होगा। चूंकि सरकारी वकील / सहायक जिला अटॉर्नी वकील हैं, जो न्यायालय में अभ्यास करते हैं, सरकार की ओर से हो सकते हैं, फिर भी एक वकील के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस न्यायालयों में उपस्थित होने के लिए पूर्व शर्त है। ऐसा होने पर, उत्तरदाता कानूनी रूप से यह शर्त लगा सकते हैं कि केवल वे लोग, जिनके पास वकील के रूप में अभ्यास करने का लाइसेंस है, आवेदन करने के पात्र हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का कोई उल्लंघन नहीं है। यदि याचिकाकर्ता सरकारी सेवा में है और निजी क्षमता में या सरकार की ओर से एक वकील के रूप में अभ्यास करना चाहता है, तो वह हमेशा सरकारी सेवा से इस्तीफा दे सकता है, बार काउंसिल से अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और फिर राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए, उक्त शर्त में कोई अवैधता नहीं है, जिसके लिए आवश्यक है कि केवल वे व्यक्ति, जो बार काउंसिल के साथ नामांकित हैं, राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके विपरीत, यह कानून की आवश्यकता को पूरा करता है।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सहायक जिला अटॉर्नी की नियुक्ति के बीच समानता लाने की कोशिश की है।

(10) हमारा विचार है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अदालत में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वह एक न्यायाधीश के रूप में न्यायालय की अध्यक्षता करता है। इसलिए, की गई तुलना गलत और गलत है। केवल तथ्य यह है कि सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, यह धारण करने का कोई आधार नहीं है कि राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील के रूप में नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा होने पर, रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी गई है।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़